



# श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.)

e-mail Id : [comptroller@sknau.ac.in](mailto:comptroller@sknau.ac.in)

बी.एल. बंजारा (RAcS)

वित्त नियंत्रक

क्रमांक : एफ.3( )श्रीकनकृवि/वि.नि./2022-23/5414

दिनांक : 20.01.2023

## -: कोटेशन के लिए अनुरोध :-

कोटेशन के लिए अनुरोध सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के लिए वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जानी है। महालेखाकार के अंकेक्षण पेनल में रजिस्टर्ड Chartered Accountant फर्म का नवीनतम बायोडेटा मय (अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में 01 वर्ष तक किये गये अंकेक्षण कार्य सहित) संलग्न कर प्रेषित कराएँ। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वैधानिक अंकेक्षण के रूप में आप द्वारा अपेक्षित अंकेक्षण शुल्क का विवरण भी निम्न प्रारूप में प्रेषित करें :-

क्र. स.	कार्य का नाम	अपेक्षित/प्रस्तावित अंकेक्षण शुल्क राशि (रूपये में)
1	विश्वविद्यालय के वार्षिक अंतिम लेखों के प्रमाणीकरण हेतु एक मुश्त प्रारिश्मिक वार्षिक अंतिम लेखों प्रमाणीकरण की वर्तमान दर रूपये 10000+GST	

इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त कोष एवं उनके उपयोग के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के लिए प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र निम्नानुसार दर से पारिश्मिक अतिरिक्त देय है :-

उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि (रूपये में)			
1 लाख तक	1 लाख से अधिक किन्तु 5 लाख तक	5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक	10 लाख से अधिक
195+GST	400+GST	500+GST	550+GST
आप द्वारा अपेक्षित/प्रस्तावित दर राशि (रूपये में)			

सम्बन्धित वैधानिक अंकेक्षण को विश्वविद्यालय के आयकर, सेवाकर आदि मामलों पर भी परामर्श/कार्यवाही यथा आवश्यक प्रमाण पत्र आदि देना होगा।

अतः नवीनतम बायोडेटा मय स्वायत्तशासी संस्थाओं में किये गये अंकेक्षण के प्रमाण सहित प्रस्ताव दिनांक 28.01.2023 दोपहर 12:00 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित कराएँ। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। शर्तें :-

1. तुलन पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 को दिनांक 30.09.2023 तक तैयार करना होगा।
2. तुलन पत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय पर बैठकर तैयार करना होगा।
3. इस विश्वविद्यालय में 10 दिवस तक की उपस्थिति तक किसी प्रकार के यात्रा भत्ते का भुगतान देय नहीं होगा विश्वविद्यालय में 10 दिवस से अधिक कि उपस्थिति पर सहायक आचार्य के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

भवदीय

वित्त नियंत्रक